राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1849/2013/उदयपुर

मै0 सद्भाव इंजीनियरिंग लि0,
उदयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स,
उदयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री श्याम बोकड़िया,
अधिकृत अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/03/2016

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा)के अपील संख्या 114/वेट/12–13/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, वृत, बांसवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के शास्ति आदेश को यथावत रखा है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे सक्षम अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 05.08.2012 को वाहन संख्या जी.जे.07–जीबी/1319 को नेशनल हाईवे नं.8 रतनपुर पर परिवहन के दौरान चैक किया। वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित आयरन प्लेट,शीट एवं चेनल व बीम के दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच पर पाया गया कि उनमें संलग्न वेट प्रपत्र नं. ए–0392581 के पार्ट–बी में माल की कीमत, माल की मात्रा व वजन का अंकन नहीं था। प्रपत्र नियत स्थान पर पंच भी नहीं था। अतः वाद धारा 76(6) मेंदरर्ज किया गया एवं उपायुक्त(प्रशासन) वा.क.उदयपुर को इस बारे में अवगत कराया गया। उपायुक्त(प्रशासन)वा.क.उदयपुर के आदेश दिनांक 6.8.2012 की पालना में प्रकरण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) को प्रेषित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी को कारण नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2012 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे वेट अधिनियम कहा

जायेगा) की धारा 76(2) का उल्लंघन होने से धारा 76(6) के अन्तर्गत माल की कीमत रू0 6,32,265/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 1,89,680/–अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–व्यवहारी ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 07.08.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी एक ठेकेदार है। इन्होंने राज्य के बाहर से कार्य करने के लिए आयरन प्लेट, शीट एवं चेनल राजस्थान में लाई जा रही थी। वक्त जॉच माल से सम्बन्धित समस्त बिल, इनवॉयस तथा प्रपत्र प्रपत्र वेट–47 नं0 0392581 वाहन के साथ थे। बिल, व इन्वॉयस में माल की मात्रा, वजन पूर्ण थे जो घोषणा प्रपत्र वेट–17 के साथ संलग्न थे। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की मंशा मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया। इसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित शास्ति को यथावत रखने में विधिसम्मत कार्य नहीं किया है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता, बांसवाड़ा बनाम केथरिन इण्डिया प्रा0लि0 (2010) 13 वेट रिपोर्टर 99 का हवाला देते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में कथन किया कि वक्त चैकिंग वाहन चालक/माल प्रभारी ने वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 में माल की कीमत, मात्रा, व वजन के कॉलम रिक्त थे। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा सिद्ध होती है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी व अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि वक्त चैकिंग परिवहन के दौरान परिवहनित माल राज्य के बाहर से राजस्थान में लाया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ ग्रीन लाईन्स केरियर अहमदाबाद की बिल्टी संख्या 13131 दिनांक 4.2.2012 जिसमें आयरन सीट लिखा है एवं बिल्टी में इन्वायस न. 57 भी लिखा है। वक्त चैकिंग इनवॉयस नं. 57 भी

चालक के पास होना बताया गया है तथा इनवॉयस न.0 57 दिनांक 4.8.2012 स्टील ट्रेडर्स, अहमदाबाद से जारी किया हुआ है एवं सद्भाव इंजीनियरिंग लि0 नाला नागदिया, नाथद्वारा को जारी किया हुआ है जिसमें माल की मात्रा व कीमत रू0 6,32,265/– लिखी हुई है। प्रपत्र वेट–47 नं0 0392581 वाहन के साथ था जिसमें बिल की राशि व वजन की मात्रा नहीं लिखी गई लेकिन प्रपत्र वेट–47 में बिल नं. आर–57 का हवाला दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में वजन व मात्रा अलग नहीं करने से व्यवहारी की कर चोरी करने की मंशा रही हो, यह दर्शित नहीं होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अ.प्र. द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों की प्रति भी जवाब के साथ पेश कर दी। व्यवहारी ने जो जवाब पेश किया है उसमें उसने सभी तथ्यों का वर्णन किया है तथा जवाब के साथ इनवॉयस की फोटो प्रति पेश की है तथा फार्म 402 जिसमें इनवॉयस का नम्बर तथा राशि वर्णित है, जो इन्टरनेट से निकाली हुई प्रति भी पेश की है। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त समस्त दस्तावेजों के होते हुए भी केवल प्रपत्र वेट–47 में वजन की मात्रा व राशि रिक्त होने के आधार पर, करापवंचन की मंशा मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। प्रपत्र वेट–47 में वजन की मात्रा व राशि लिखी नहीं होना तकनीकी भूल होना प्रतीत होती है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित शास्ति को यथावत रखने में विधिक भूल की है, इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं होने से अपास्तनीय है।

फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.08.2013 को अपास्त की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

4.3.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य